बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 236474 पटना, दिनांक 2-07-2015

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

विषयः- मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी हेतु पौधों को क्रय करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी हेतु दिनांक 26.05.2015 को मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारियों के साथ की गयी Video Conferencing में दिये गये निदेश एवं दिनांक 23.06.15 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ हुई बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पौधों के क्रय के संबंध में निम्न दिशा निर्देश दिये जाते है:-

1. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न पौधशालाओं में जिलावार उपलब्ध कुल 5109165 पौधो एवं उनके दर की सूची प्रदान की गयी है जिसे पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है । सभी उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेगें कि Facilitator सर्वप्रथम इन सरकारी नर्सरी से ही पौधो का उठाव पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में करेगे । पौधों की न्यूनतम उँचाई 3 फीट होगी ।
2. सरकारी नर्सरी में पौधे उपलब्ध नहीं होने अथवा उच्च गुणवता के नहीं होने पर स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित नर्सरी से पौधों का उठाव Facilitator द्वारा किया जाएगा ।
3. उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 में पौधे अनुपलब्ध होने की स्थिति में स्थानीय / राज्य में स्थापित नर्सरी से पौधो का उठाव Facilitator के माध्यम से किया जायेगा ।
4. किसी भी परिस्थिति में राज्य के बाहर से पौधो का क्रय नहीं किया जाये ।

(अनुलग्नक: यथोक्त)

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
2.7.15

(प्रदीप कुमार)

सचिव